विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 25 अक्टूबर 2014

क्र. 6136-268-इक्कीस-अ-(प्रा.).-भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 के अधीन मध्यप्रदेश के राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित किया गया निम्नलिखित अध्यादेश सर्वसाधारण की जानकारी हेतु प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजेश यादव, अपर सचिव

मध्यप्रदेश अध्यादेश
क्रमांक 7 सन् 2014

मध्यप्रदेश दुकान तथा स्थापना (संशोधन) अध्यादेश, 2014.
विषय-सूची

धाराएं :

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.
2. मध्यप्रदेश अधिनियम क्रमांक 25 सन् 1958 का अस्थायी रूप से संशोधित किया जाना .
3. धारा 6 का संशोधन.
4. धारा 33 का स्थापन.
5. धारा 41 का संशोधन.
6. धारा 53 का स्थापन.
7. धारा 54 का संशोधन.
8. धारा 59 का संशोधन.

मध्यप्रदेश अध्यादेश

क्रमांक 7 सन् 2014

मध्यप्रदेश दुकान तथा स्थापना (संशोधन) अध्यादेश, 2014

[" मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)" में दिनांक 25 अक्टूबर 2014 को प्रथमबार प्रकाशित किया गया.

भारत गणराज्य के पैंसठवें वर्ष में राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित किया गया.

मध्यप्रदेश दुकान तथा स्थापना अधिनियम, 1958 को और संशोधित करने हेतु अध्यादेश.

यत: न राज्य के विधान-मंडल का सत्र चालू नहीं है और मध्यप्रदेश के राज्यपाल का समाधान हो गया है कि ऐसी परिस्थितियां विद्यमान हैं जिनके कारण यह आवश्यक हो गया है कि वे तुरन्त कार्रवाई करें;

अतएव, भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 के खण्ड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए मध्यप्रदेश के राज्यपाल निम्नलिखित अध्यादेश प्रख्यापित करते हैं -

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.

1. (1) इस अध्यादेश का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश दुकान तथा स्थापना (संशोधन) अध्यादेश, 2014 है

(2) यह मध्यप्रदेश राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगा.

मध्यप्रदेश अधिनियम क्रमांक 25 सन् 1958 का अस्थायी रूप से संशोधित किया जाना,

2. इस अध्यादेश के प्रवर्तित रहने की कालावधि के दौरान, मध्यप्रदेश दुकान तथा स्थापना अधिनियम, 1958 (क्रमांक 25 सन् 1958) (जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट है) धारा 3 से 8 में विनिर्दिष्ट संशोधनों के अध्यधीन रहते हुए प्रभावी होगा.

धारा 6 का संशोधन.

3. मूल अधिनियम की धारा 6 में, उपधारा (3) में, अंत में आने वाले पूर्ण विराम के स्थान पर, कोलन स्थापित किया जाए और तत्पश्चात् निम्नलिखित परंतुक अत स्थापित किया जाए अर्थात् :-

"परंतु यदि उपधारा (2) के अधीन आवेदन प्रस्तुत किए जाने की तारीख से विहित कालावधि के भीतर निरीक्षक द्वारा कोई विपरीत आदेश पारित नहीं किया जाता है तो सम्यक रूप से पंजीयन कर दिया गया समझा जाएगा. "

धारा 33 का स्थापन.

4. मूल अधिनियम, की धारा 33 के स्थान पर निम्नलिखित धारा स्थापित की जाए अर्थात् :-

आग तथा परिसंकटों के बचाव के लिए पूर्वोपाय.

"33. ऐसी स्थापना या स्थापनाओं की श्रेणी को छोड़कर, जो कि विहित की जाए प्रत्येक स्थापना में आग से बचाव के लिए ऐसे पूर्वोपाय तथा कर्मचारियों के स्वास्थ्य एवं सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए ऐसे अष्णुपाय किए जाएँगे जैसे कि विहित किए जाएं. "

धारा ४१ का संशोधन

5. मूल अधिनियम की धारा 41 में, उपधारा (2) के पश्चात् निम्नलिखित नई उपधारा जोड़ी जाए अर्थात् "

(3) उपधारा (1) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, कोई भी निरीक्षक श्रम आयुक्त या उसके द्वारा इस प्रकार प्राधिकृत किसी अधिकारी की अनुज्ञा के सिवाय किसी ऐसी स्थापना में अपनी शक्तियों का प्रयोग नहीं करेगा जहां कि दस से कम कर्मचारी नियोजित हैं. "

धारा 53 का स्थापन.

6. मूल अधिनियम की धारा 53 के स्थान पर निम्नलिखित धारा स्थापित की जाए अर्थात् हैं.--

अपराध का समझौता.

"53. इस अधिनियम के किन्हीं अन्य उपबंधों में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, राज्य सरकार द्वारा, अधिसूचना द्वारा, इस निमित प्राधिकृत कोई अधिकारी, इस निमित्त राज्य सरकार के किसी सामान्य या विशेष आदेश के अध्यधीन रहते हुए प्रथमबार या पूर्व के अपराध के (यदि कोई हो) कारित किए जाने से दो वर्ष की कालावधि का अवसान हो जाने के पश्चात् कारित किसी अपराध का, या तो अभियोजन संस्थित किए जाने के पूर्व या उसके पश्चात्, समझौता शुल्क के रूप में उतनी धनराशि, जो जुर्माने की अधिकतम धनराशि से अधिक न हो परन्तु जो जुर्माने की अधिकतम धनराशि के आधे से कम न हो, जितनी कि वह उचित समझे, वसूल करने के पश्चात् समझौता करा सकेगा; जब अपराध का समझौता-

(एक) अभियोजन संस्थित किए जाने के पूर्व, कराया जाता है तो अपराधी अभियोजन का दायी नहीं होगा और यदि अभिरक्षा में है तो स्वतंत्र कर दिया जाएगा;

(दो) अभियोजन संस्थित किए जाने के पश्चात् कराया जाता है तो समझौते से अपराधी दोषमुक्त हो जाएगा."

धारा 54 का संशोधन.

7. मूल अधिनियम की धारा 54 में, अंत में आने वाले पूर्ण विराम के स्थान पर, कोलन स्थापित किया जाए और उसके पश्चात् निम्नलिखित परंतुक अंत स्थापित किए जाएं अर्थात् :-

"परंतु सरकार, आदेश द्वारा, ऊपर विहित प्ररूपों के बदले पंजियों तथा अभिलेखों को रखने के लिए समेकित प्ररूप बना सकेगी या अधिसूचित कर सकेगी :

परन्तु यह और कि सरकार पंजियों तथा अभिलेखों का कम्प्यूटरीकृत या डिजिटल रूपविधान (फार्मेट) में संधारित किया जाना, अनुज्ञात कर सकेगी. "

धारा 59 का संशोधन

8. मूल अधिनियम की धारा 51 में, उपधारा (2) में, खण्ड (ड) में, शब्द "आग से बचने के लिए बरती जाने वाली सावधानी" के स्थान पर "आग तथा परिसंकटों से बचने के लिए बरती जाने वाली सावधानी" स्थापित किए जाएं.

भोपाल :

राम नरेश यादव
राज्यपाल,

तारीख : 22 अक्टूबर, 2014. राज्यपाल, मध्यप्रदेश